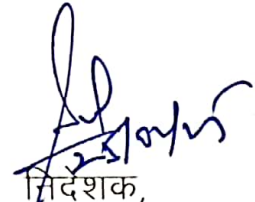


बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।
शुद्धि पत्र

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन राज्य में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के औपबंधिक नियुक्ति-सह-पदस्थापन के पूर्व के आदेश पदस्थापित संस्थान को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है-

विज्ञापन संख्या एवं व्यवसाय	पूर्व में निर्गत आदेश संख्या	अभ्यर्थी का नाम एवं गृह जिला	पूर्व पदस्थापित संस्थान का नाम	नवपदस्थापित संस्थान का नाम
1	2	3	4	5
22/2023 इलेक्ट्रीशियन	440/05.02.2025	श्री विपेन्द्र कुमार /गया	औ0 प्र0 संस्थान, हथुआ, गोपालगंज	औ0 प्र0 संस्थान, मोतिहारी.

- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।


निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापक-टी0-1/स्था0(6) अनु0-125/2024-...667.../पटना, दिनांक-25/02/2025

प्रतिलिपि-सभी प्राचार्य एवं प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिहार/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित व्यवसाय अनुदेशक/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।